रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2832] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 31, 2015/ पौष 10, 1937
No. 2832] NEW DELHI, THRUSDAY, DECEMBER 31, 2015/ PAUSA 10, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2015

का.आ. 3553(अ).—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय के तारीख 30 अप्रैल, 2003 के आदेश सं. का.आ. 489 (अ) का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त आदेश में, पैरा 1 में, "बारह वर्ष और आठ माह" की अवधि के लिए" शब्दों के स्थान पर "तेरह वर्ष और आठ माह की अवधि के लिए" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. जेड- 20018/1/99-सीपीए]

राशिद हसन, सलाहकार

टिप्पण:- मूल आदेश भारत के राजपत्र में आदेश संख्या का.आ. 489(अ) तारीख 30 अप्रैल, 2003 के द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात आदेश संख्या का.आ. 56(अ), तारीख 14 जनवरी, 2005, तारीख 19 फरवरी, 2007 के आदेश संख्या का.आ. 253(अ), तारीख 24 जून, 2008 के आदेश संख्या का.आ. 1539(अ), तारीख 29 दिसम्बर, 2009 के आदेश संख्या का.आ. 3303(अ), तारीख 27 दिसम्बर, 2011 के आदेश संख्या का.आ. 2866(अ), तारीख 27 दिसम्बर, 2013 के आदेश संख्या का.आ. 3822(अ) द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

ORDER

New Delhi, the 30th December, 2015

S.O. 3553(E).—In exersice of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes following further amendment in the Order of the Government of India in the Ministry of Environment, Forests number S.O. 489(E), dated the 30th April, 2003, namely:—

In the said Order, in paragraph 1, for the words "for a period of twelve years and eight months" the words "for a period of thirteen years and eight months" shall be substituted.

[F. No. Z-20018/1/99-CPA]

RASHID HASAN, Advisor

Note : The principal Order was published in the Gazette of India vide number S.O. 489(E), dated the 30th April, 2003 and subsequently amended vide S.O. 56(E), dated the 14th January, 2005, S.O. 253(E), dated the 19th Febuary, 2007, S.O. 1539(E), dated the 24th June, 2008, S.O. 3303(E), dated the 29th December, 2009, S.O. 2866(E), dated the 27th December, 2011 and S.O. 3822(E) dated the 27th December, 2013.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.